प्राथमिक विद्यालयों में सी. सी. ई. के तहत् व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों का अध्ययन (खण्डवा जिले के संदर्भ में)

अशोक कुमार नेगी
शोधार्थी,
बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

डॉ. ज्योत्स्ना खरे
प्राचार्या,
एन. ई. एस. महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)

शोधसार –

प्रस्तुत अध्ययन द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में सी.सी.ई. के तहत् व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों के संचालन में अभिलेख संधारण की भूमिका को स्पष्ट करने का प्रयास कर उसमें आने वाली कठिनाई का अध्ययन सत्र् २०१६–१७ में किया गया । राज्य शासन ने १ अप्रैल २०१० से नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ लागू करने के साथ परीक्षा के स्थान पर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन अनिवार्य किया। सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षण के साथ–साथ चलने वाली सतत् प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के शैक्षिक क्षेत्रों के साथ सह–शैक्षिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत–सामाजिक गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। विद्यालयों में इन गतिविधियों के संचालन पर आधारित अभिलेख संधारण भी किया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अनुसार १४ वर्ष की उम्र तक के बच्चे का समस्त रिकार्ड संकलित करना व रिकार्ड रखना सुनिश्चित करने का भी उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यादर्श खण्डवा जिले के सभी ०७ विकासखण्डों में से ०३ विकासखण्डों को शामिल कर प्रत्येक विकासखण्ड के ५–५ ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक विद्यालयों से कुल १५ प्रधानअध्यापक तथा १५ शिक्षक को न्यादर्श के रूप में लिया है। अध्ययन के निष्कर्ष से ज्ञात होता है कि १०० प्रतिशत शाला में सी.सी.ई. के तहत व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों का अभिलेख संधारण होता है । इसी तरह ७७.३३ प्रतिशत प्रधानपाठकों तथा ७६.०० प्रतिशत कक्षा शिक्षकों के अनुसार गतिविधियों के अभिलेख संधारण में कठिनाई होती है।

परिचय–राज्य शासन ने १ अप्रैल २०१० से नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ लागू करने के साथ परीक्षा के स्थान पर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन अनिवार्य किया। शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन सी.सी.ई. को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश राज्य की समस्त शासकीय व अशासकीय शालाओं (अनुदान प्राप्त शालाओं सहित) में कक्षा पहली से आठवीं तक लिए विद्यार्थी मूल्यांकन हेतु नवीन निर्देश सत्र् २०११–१२ के अनुसार सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के साथ – साथ विद्यार्थियों के लिए सी.सी.ई. के तहत् शैक्षिक क्षेत्र ,सहशैक्षिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत व सामाजिक गुणों का मूल्यांकन किया जा रहा है। सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षण के साथ–साथ चलने वाली सतत् प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के शैक्षिक क्षेत्रों के साथ सह–शैक्षिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत–सामाजिक गुणों का मूल्यांकन किया जाता है।

सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन सी.सी.ई. में कक्षा पहली से आठवीं तक के लिए विद्यार्थी मूल्यांकन हेतु वर्तमान निर्देश सत्र् विगत सत्र् अनुसार ही हैं, तदनुसार समस्त शासकीय व अशासकीय शालाओं में विद्यार्थी के श्शैक्षिक, सहशैक्षिक व व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों का सत्र भर मूल्यांकन किया जाता है। शालाओं में इन गतिविधियों के संचालन पर आधारित अभिलेख संधारण भी किया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ के चेप्टर – द्वितीय ,सेक्शन–९ (डी,सी,एच) के अनुसार १४ वर्ष की उम्र तक के बच्चे का समस्त रिकार्ड संकलित करना व रिकार्ड रखना सुनिश्चित करने का उल्लेख किया गया है।

प्रस्तुत श्शोध द्वारा व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों के संचालन में अभिलेख संधारण की भूमिका को स्पष्ट करने का प्रयास कर उसमें आने वाली कठिनाई का अध्ययन कर उसके निराकरण हेतु आवश्यक सुझाव दिये गये हैं, जिसका लाभ सभी शिक्षक साथियों को मिल सकेगा ।

समस्या कथन – प्राथमिक विद्यालयों में सी.सी.ई. के तहत् व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों का अध्ययन (खण्डवा जिले के संदर्भ में)

उद्देश्य

१– प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानअध्यापकों तथा शिक्षकों द्वारा सी.सी.ई. के तहत् व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों के संचालन तथा अभिलेख संधारण की वस्तुस्थिति ज्ञात करना।

२– प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानअध्यापकों तथा शिक्षकों को सी.सी.ई. के तहत् व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों के अभिलेख संधारण में आने वाली कठिनाई का अध्ययन करना।

सीमाएँ –

- इस अध्ययन में न्यादर्श के रूप में खण्डवा जिले के सभी ०७ विकासखण्डों में से ०३ विकासखण्डों को शामिल किया गया है।
- न्यादर्श प्रत्येक विकासखण्ड के ५–५ ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक विद्यालयों से लिया गया ।
- प्रत्येक शासकीय प्राथमिक विद्यालयों से ०१ प्रधानअध्यापक तथा ०१ शिक्षक को न्यादर्श के रूप में लिया है।

परिकल्पनाएँ–

१ प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानअध्यापकों तथा शिक्षकों द्वारा सी.सी.ई. के तहत् व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों के संचालन तथा अभिलेख संधारण के प्रति व्यक्त अभिमतों के मध्यमान में सार्थक अंतर नही होगा।

२ प्रधानअध्यापकों तथा शिक्षकों द्वारा सी.सी.ई. के तहत् व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों के अभिलेख संधारण में आने वाली कठिनाई के प्रति व्यक्त अभिमतों के मध्यमान में सार्थक अंतर नही होगा।

न्यादर्श – प्रस्तुत शोधकार्य प्राथमिक विद्यालयों में सी.सी.ई. के तहत् व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों के अभिलेख संधारण में आने वाली कठिनाई का अध्ययन कर निवारण हेतु सुझाव प्रदान कर रहा है । अत: खण्डवा जिले के सभी ०७ विकासखण्डों में से ०३ विकासखण्डों से यादृच्छिक विधि द्वारा ५–५ शासकीय प्राथमिक विद्यालयों का चयन इस प्रकार किया ग्रामीण विद्यालय चयनित हो सकें । इस प्रकार कुल १५ प्राथमिक विद्यालय चयनित किये गये प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से ०१ प्रधान अध्यापक ०१ शिक्षक को चयन कर कुल ३० प्रधान अध्यापक/ शिक्षक को लिया गया ।

उपकरण– शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित प्रश्नावली के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों के संचालन, अभिलेख संधारण एवं अभिलेख संधारण में आने वाली कठिनाई विषयक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किये गये हैं जो कि शोध के उद्देश्य पूर्ति में सहायक है।प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से विद्यालय सम्बन्धी गतिविधियों के एवं कक्षा ५वीं के शिक्षकों से कक्षा सम्बन्धी गतिविधियों के संचालन, अभिलेख संधारण एवं अभिलेख संधारण में आने वाली कठिनाई पर आधारित २३–२३ प्रश्नों को लिया गया है ।

विश्लेषण एवं सारणीयन –

तालिका क्र. १– गतिविधियों के संचालन तथा अभिलेख संधारण के प्रति व्यक्त अभिमत

अभिमत	न्यादर्श का आकार	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	गणना से प्राप्त टी का मान
प्रधानअध्यापक	१५	९.१५	४.९१	०.१९१
कक्षाशिक्षक	१५	९.९४	४.८७	

गणना द्वारा प्राप्त टी का मान ०.१९१ है, इसकी सार्थकता के लिये टी का स्वतंत्रता अंश डी.एफ. = २८ है । टी तालिका में स्वतंत्रता अंश डी.एफ. = २८ पर स्तर .०५ मान २.०५ है तथा स्तर .०१ मान २.७६ है । गणना द्वारा प्राप्त टी का मान ०.१९१ डी.एफ. = २८ पर टी तालिका के मान से कम है।

अत: शोधकर्ता द्वारा ली गई परिकल्पना–

प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानअध्यापकों तथा शिक्षकों द्वारा सी.सी.ई. के तहत् व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों के संचालन तथा अभिलेख संधारण के प्रति व्यक्त अभिमतों के मध्यमान में सार्थक अंतर नही होगा। स्वीकृत होती है। अर्थात् हम यह कह सकते हैं कि परिकल्पना की पुष्टि होती है।

तालिका क्र. २– प्रधानअध्यापक एवं कक्षाशिक्षकों को आ रही कठिनाई के प्रति व्यक्त अभिमत

अभिमत	न्यादर्श का आकार	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	गणना से प्राप्त टी का मान
प्रधानअध्यापक	१५	८.६	६.११	०.१८६
कक्षाशिक्षक	१५	८.४	६.३६	

गणना द्वारा प्राप्त टी का मान ०ण्१८६है, इसकी सार्थकता के लिये, टी का स्वतंत्रता अंश डी.एफ. = २८ है । टी तालिका में स्वतंत्रता अंश डी.एफ. = २८ पर, स्तर .०५ मान २.०५ है । तथा स्तर .०१ मान २.७६ है । गणना द्वारा प्राप्त टी का मान ०ण्१८६ डी.एफ. = २८ पर ,

टी तालिका के मान से कम है।

अत: शोधकर्ता द्वारा ली गई परिकल्पना –

प्रधानअध्यापकों तथा शिक्षकों द्वारा सी.सी.ई. के तहत् व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों के अभिलेख संधारण में आने वाली कठिनाई के प्रति व्यक्त अभिमतों के मध्यमान में सार्थक अंतर नही होगा। स्वीकृत होती है।

अर्थात् हम यह कह सकते हैं कि परिकल्पना की पुष्टि होती है।

मुख्य संप्राप्तियाँ एवं निष्कर्ष – प्राथमिक शाला के प्रधानपाठकों एवं शिक्षकों से प्राप्त उत्तरों के प्रतिशत एवं चर्चा के आधार पर प्रमुखत: यह पाया गया कि –

- ६० प्रतिशत प्रधानाध्यापकों एवं ६० प्रतिशत कक्षा शिक्षकों के अनुसार शाला में स्वच्छता किट उपलब्ध है। शाला में स्वच्छता किट में नेलकटर, हैण्डवाश यूनिट, साबुन, तौलिया, आईना इत्यादि सामग्री रखी जाती है, जिसका उपयोग स्वच्छता गतिविधियों के लिए किया जाता है जबकि ४० प्रतिशत प्रधानाध्यापकों एवं ४० प्रतिशत कक्षा शिक्षकों के अनुसार शाला में स्वच्छता किट उपलब्ध नहीं है।
- १०० प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार शाला में डस्टबिन उपलब्ध है जबकि ४० प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार शाला की सभी कक्षाओं में डस्टबिन उपलब्ध नहीं है।
- ४० प्रतिशत कक्षाशिक्षकों के अनुसार कक्षा कक्ष में डस्टबिन उपलब्ध नहीं है।
- १०० प्रतिशत प्रधानाध्यापकों एवं १०० प्रतिशत कक्षाशिक्षकों के अनुसार शाला में व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों उपयोग हेतु समयविभाग चक्र में कालखण्ड रखा गया है। प्रतिदिवस एक–एक गतिविधि को यथासंभव शामिल किया गया है ।
- १०० प्रतिशत प्रधानाध्यापकों एवं १०० प्रतिशत कक्षाशिक्षकों के अनुसार शाला में सी.सी.ई. के तहत व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों का अभिलेख संधारण होता है ।
- ६० प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार शाला में सी.सी.ई. के तहत व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों का अभिलेख संधारण मासिक करते हैं एवं २६.३३ प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार शाला में सी.सी.ई. के तहत व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों का अभिलेख संधारण साप्ताहिक तथा २६.३३ प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार शाला में सी.सी.ई. के तहत व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों का अभिलेख संधारण दैनिक करते हैं ।

- ६० प्रतिशत कक्षा शिक्षकों के अनुसार कक्षा में सी.सी.ई. के तहत व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों का अभिलेख संधारण मासिक करते हैं एवं २० प्रतिशत कक्षा शिक्षकों के अनुसार गतिविधियों का अभिलेख संधारण साप्ताहिक करते हैं । २० कक्षा शिक्षकों के अनुसार शाला में सी.सी.ई. के तहत व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों का अभिलेख संधारण दैनिक करते हैं ।
- ६६.६६ प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार शाला में विद्यार्थी के लिए व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों का अवलोकन हेतु सूची उपलब्ध है। जबकि ३३.३३ प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार अवलोकन हेतु सूची उपलब्ध नहीं है।
- जबकि ४० प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार शाला में सभी कक्षाओं में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों का अवलोकन हेतु सूची उपलब्ध नहीं है।
- मात्र ४० प्रतिशत कक्षा शिक्षकों के अनुसार कक्षा में विद्यार्थी के लिए व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों का अवलोकन हेतु सूची उपलब्ध है।
- ६६.६६ प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार शाला में सभी कक्षाओं में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए गतिविधियों का नियमित अवलोकन करते हैं।
- ६६.६६ प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार शाला में सभी कक्षाओं में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए गतिविधियों का नियमित अवलोकन करते समय कठिनाई आती है ।
- ४० प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार शाला में प्रत्येक विद्यार्थी का साथ–साथ नियमित अवलोकन करते समय कठिनाई आती है । ३३.३३ प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार शाला में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए गतिविधियों का नियमित अवलोकन करते समय प्रत्येक /सभी विद्यार्थी द्वारा स्वयं द्वारा सहभागिता को स्पष्ट रूप से व्यक्त न कर पाना तथा २० प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी के लिए गतिविधियों का नियमित अवलोकन में शाला में प्रत्येक पालक द्वारा सहयोग न कर पाना एवं ६.६६ प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार शाला में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों का नियमित अवलोकन करते समय कोई कठिनाई नहीं आती है ।
- ६० प्रतिशत कक्षा शिक्षकों के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी का साथ–साथ नियमित अवलोकन करते समय कठिनाई आती है । २० प्रतिशत कक्षा शिक्षकों के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी के लिए गतिविधियों का नियमित अवलोकन करते समय प्रत्येक /सभी विद्यार्थी द्वारा स्वयं द्वारा सहभागिता को स्पष्ट रूप से व्यक्त न कर पाना तथा २० प्रतिशत कक्षा शिक्षकों के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी के लिए गतिविधियों का नियमित अवलोकन में प्रत्येक पालक द्वारा सहयोग न कर पाने जैसी कठिनाई आती है ।

- ६० प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार शाला में सभी कक्षाओं में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए गतिविधियों का विद्यार्थी का व्यक्तिगत विद्यार्थी पोर्टफोलियो उपलब्ध है।
- ६६.६६ प्रतिशत कक्षा शिक्षकों के अनुसार कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए व्यक्तिगत पोर्टफोलियो उपलब्ध है। जबकि ३३.३३ प्रतिशत कक्षा शिक्षकों के अनुसार कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उसका व्यक्तिगत पोर्टफोलियो उपलब्ध नहीं है।
- ६० प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार शाला में शाला में प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं का व्यक्तिगत पोर्टफोलियो उपयोग करता है। जबकि ४० प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार शाला में प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं का व्यक्तिगत पोर्टफोलियो उपयोग नहीं करता है।
- मात्र ४०प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार शाला में शाला में प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं का व्यक्तिगत पोर्टफोलियो उपयोग करता है। जबकि १०० प्रतिशत कक्षा शिक्षकों के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं का व्यक्तिगत पोर्टफोलियो उपयोग करता है।
- मात्र ४० प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार शाला में शाला में प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं के व्यक्तिगत पोर्टफोलियो में सामग्री रखते हैं । जबकि १०० प्रतिशत कक्षा शिक्षकों के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं का व्यक्तिगत पोर्टफोलियो में स्वयं द्वारा बनाई सामग्री रखते हैं ।
- १०० प्रतिशत प्रधानाध्यापकों तथा १०० प्रतिशत कक्षा शिक्षकों के अनुसार शाला में प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा स्वयं के व्यक्तिगत पोर्टफोलियो में स्वयं के द्वारा बनाये गये चित्र, रंग किये गये चित्र, पेपर, अखबार कटिंग्स, हस्त लिखित कहानी, कविता, लेख, घटना वर्णन इत्यादि सामग्री रखी गई हैं ।
- १०० प्रतिशत प्रधानाध्यापकों तथा १०० प्रतिशत कक्षा शिक्षकों के अनुसार शाला में प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में कोई विशेष अवलोकन हेतु एनेक्डॉटल रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। न ही प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में कोई विशेष अवलोकन हेतु सामग्री नहीं रखते हैं।
- १०० प्रतिशत प्रधानाध्यापकों तथा १०० प्रतिशत कक्षा शिक्षकों के अनुसार शाला में प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में एनेक्डॉटल रिकार्ड में उसका नाम, विशेष घटना का वर्णन, दिनांक एवं साक्ष्य व प्रमाण इत्यादि सामग्री रखी जाती है।
- ६० प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार शाला में विद्यार्थी स्वमूल्यांकन चैकलिस्ट उपयोग हेतु उपलब्ध है। जबकि ६६.६६ प्रतिशत कक्षा शिक्षकों के अनुसार शाला में विद्यार्थी स्वमूल्यांकन चैकलिस्ट उपयोग हेतु उपलब्ध है। चैकलिस्ट में व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों में नियमितता ,समयबद्धता, स्वच्छता, अनुशासन/कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग की भावना पर्यावरणके प्रति संवेदनशीलता, नेतृत्व की क्षमता, सत्यवादिता, ईमानदारी, अभिवृत्ति इत्यादि गुणों को रखा गया है।

➢ १०० प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार मासिक बैठक में पालकों को उनके पाल्यों द्वारा की जाने वाली व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों की जानकारी दी जाती है।

परिणाम –

प्रस्तुत अनुसंधान के विश्लेषण पश्चात् परिणाम अनुसार ज्ञात होता है कि १०० प्रतिशत शाला में सी.सी.ई. के तहत व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों का अभिलेख संधारण होता है । विद्यालय में सतत् और व्यापक मूल्यांकन के तहत् व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी निर्देशित गतिविधियों का संचालन तथा अभिलेख संधारण की वस्तुस्थिति का पता लगाने हेतु लिए गये प्रश्नों से ६० प्रतिशत प्रधानपाठकों तथा ६६.६६ प्रतिशत कक्षा शिक्षकों के अनुसार गतिविधियों का अभिलेख संधारण होता है। विद्यालय में सतत् और व्यापक मूल्यांकन के तहत् प्राथमिक विद्यालयों में सी.सी.ई. के तहत व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों के अभिलेख संधारण में कठिनाई की वस्तुस्थिति का पता लगाने हेतु लिए गये प्रश्नों से ७७.३३ प्रतिशत प्रधानपाठकों तथा ७६.०० प्रतिशत कक्षा शिक्षकों के अनुसार गतिविधियों के अभिलेख संधारण में कठिनाई होती है।

सुझाव –

शोध उपरांत प्राथमिक विद्यालयों में सी.सी.ई. के तहत व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों के संचालन एवं विधिवत अभिलेख संधारण के संबंध मे सुझाव निम्नानुसार हैं–

१ प्रत्येक गतिविधियों के विधिवत संचालन हेतु मासिक बजट प्रावधान दर्ज विद्यार्थियों के अनुपात में नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।

२ प्रत्येक गतिविधियों के विधिवत संचालन हेतु कक्षावार दर्ज विद्यार्थियों के अनुपात में नियमित शिक्षक नियुक्ति सुनिश्चित की जावे ।

३ प्रत्येक गतिविधियों मे सहभागिता हेतु विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करवाने के लिए पालकों को भी जिम्मेदारी सौंपी जावे ।

४ प्रत्येक कक्षा शिक्षक कक्षा में सी.सी.ई. के तहत् व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन मे नियमित रुचि लेवें।

५ प्रत्येक कक्षा शिक्षक द्वारा कक्षा में सी.सी.ई. के तहत् व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन का अभिलेख संधारण नियमित किया जावे ।

६ प्रत्येक गतिविधि के विधिवत संचालन एवं अभिलेख संधारण हेतु संस्था में पदस्थ प्रत्येक शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जावे।

७ सभी गतिविधियों के विधिवत अभिलेख संधारण तथा इसके कार्यान्वयन की सतत् मॉनीटरिंग भी की जावे।

८ अध्यापन स्टॉफ के साथ –साथ पालकों को गतिविधि सम्बन्धी सामान्य ज्ञान हेतु सतत् प्रशिक्षित किया जावे ।

९ विद्यालय में निर्देशित गतिविधियों का संचालन की नियमित मॉनिटरिंग , दल बनाकर करवायी जावे।

१० मॉनिटरिंग दल द्वारा दिये जाने वाले सुझाव को अमल में लाने के लिए उच्च कार्यालय द्वारा सर्व सम्बन्धित को निर्देशित किया जावे।

११ शाला प्रबन्ध समिति की मासिक बैठक एवं पालक सम्मेलन में चर्चा में व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण सम्बन्धी गतिविधियों निम्न गतिविधियों पर संवाद अवश्य किया जावे – १ शाला में स्वच्छता किट – नेलकटर, साबुन,तौलिया ,आईना एवं हैण्डवाश यूनिट इत्यादि सामग्री स्वच्छता गतिविधियों के लिए २ प्राथमिक उपचार पेटी, स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरुकता गतिविधियों के लिए ३ नैतिक मूल्य विकास गतिविधियाँ ४ स्वतंत्र अभिव्यक्ति गतिविधियाँ नेतृत्व विकास के लिए ५ सामान्य ज्ञान प्रश्नमंच गतिविधियाँ ।

संदर्भ ग्रन्थ

१ डॉ. शर्मा. आर.ए. (२०११) – शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया, आर.लाल बुक डिपो, मेरठ

२ राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा प्रकाशित – सतत्–व्यापक मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश २०१०–११ (म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा वभाग)

३ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या २००५ – राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली

४ शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ – भारत शासन का राजपत्र

५ प्रशिक्षण मॉड्युल – २०११ (सामर्थ्य)

६ माथुर, डॉ० एस.एस.,(१९९५).'' शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षा''., आगरा : लायल बुक डिपो,

७ भटनागर, ए.बी..,(१९९२).'' मापन एवं मूल्यांकन ''., मेरठ : आर. लाल बुक डिपो.

सारणी क्रमांक १.प्रधान अध्यापक का लोकेशनवार अभिमत
अभिलेखों का संधारण मेंसी.सी.ई. संचालन हेतु विद्यालय सपोर्ट सम्बन्धी जानकारी

	Location of schools	Total	
कथन	**N**	**54**	
क्र.	प्रधान अध्यापक अभिमत / कथन	हाँ	%
1	सी०सी० ई० सम्बन्धित सूचनाएं /आंकड़ों का अभिलेख संधारण किया जाता है।	51	94
2	सी०सी० ई० सम्बन्धित समस्त अभिलेख संधारण हेतु शाला में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है।	34	67
3	सी०सी० ई० को कार्यान्वित करने में आई०सी० टी० उपकरण सहायक हैं।	38	70
4	शिक्षण में सी.सी.ई. के तहत् प्रयास को विद्यालय स्टाफ सपोर्ट करता है।	53	98
5	शिक्षण में सी.सी.ई. के उपयोग हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित करते हैं।	53	98
	योग व % (पूर्णांक में)	229	**85**
	औसत व %(पूर्णांक में)	46	**85**

आरेख क्रमांक १ प्रधान अध्यापक का अभिमत प्रतिशत

सी.सी.ई. के संचालन में विद्यालय सपोर्ट सम्बन्धी

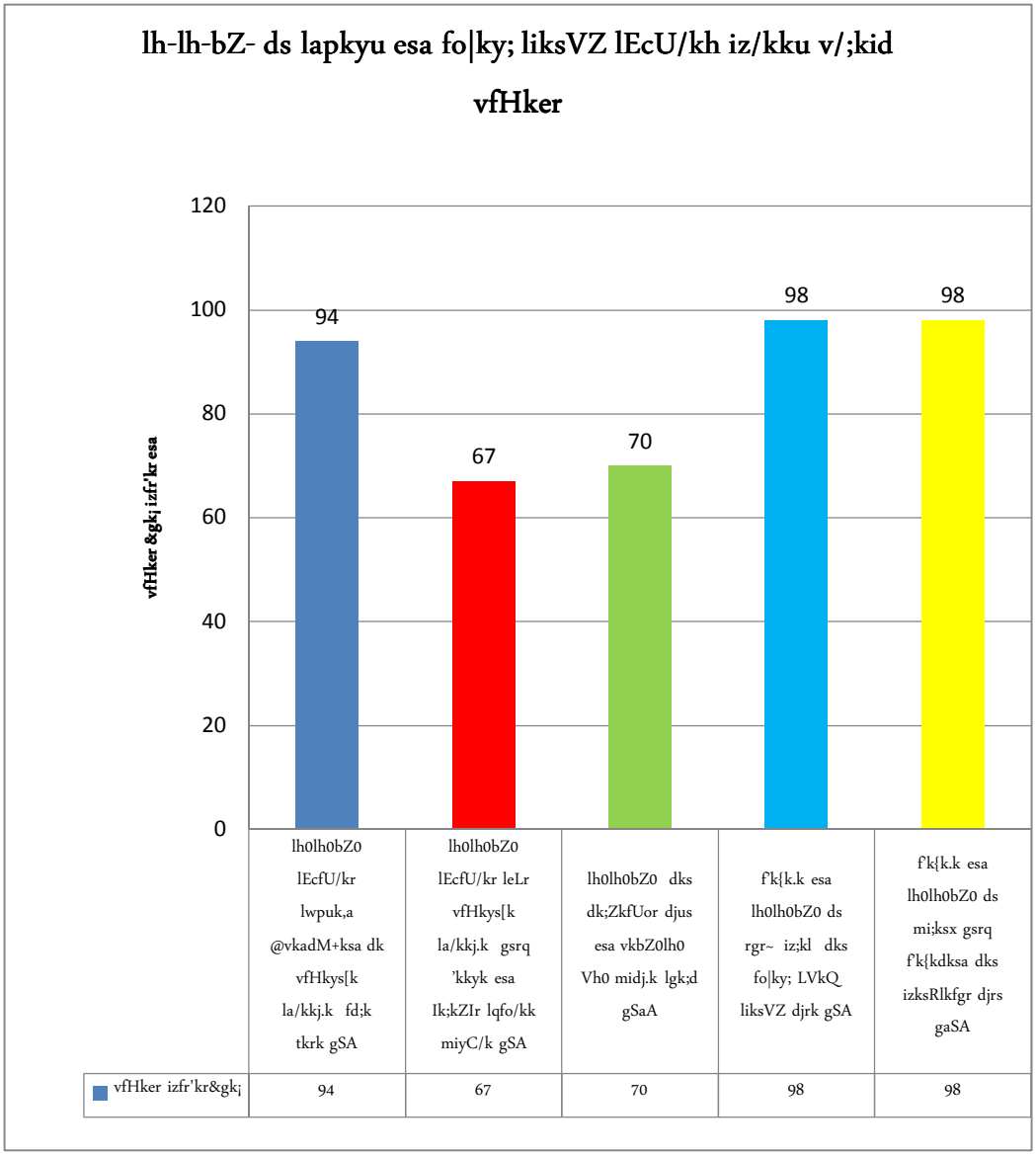

उपर्युक्त सारणी क्रमांक –१ एवं आरेख क्रमांक १ से स्पष्ट है कि –

१. ९४: संस्था प्रधान अध्यापक का अभिमत है कि शाला में सतत् और व्यापक मूल्यांकन सी.सी.ई. सम्बन्धित सूचनाएं /आंकड़ों का अभिलेख संधारण किया जाता है। है।

२. ६७: संस्था प्रधान अध्यापक का अभिमत है कि सी.सी.ई. सम्बन्धित समस्त अभिलेख संधारण हेतु शाला में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। है।

३. ७०: संस्था प्रधान अध्यापक का अभिमत है कि सी.सी.ई. को कार्यान्वित करने में आई०सी० टी० उपकरण सहायक हैं।

४. ९८: संस्था प्रधान अध्यापक का अभिमत है शिक्षण में सी.सी.ई. के तहत् प्रयास को विद्यालय स्टाफ सपोर्ट करता है।

५. ९८: संस्था प्रधान अध्यापक का अभिमत है शिक्षण में सी.सी.ई. के उपयोग हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित करते हैं।

विश्लेषण से यह भी ज्ञात होता है कि सी.सी.ई. के संचालन में सी.सी.ई. संचालन हेतु विद्यालय सपोर्ट सम्बन्धी कथनों से प्राप्त अभिमतानुसार औसतन ८५: श्विद्यालय प्रधान अध्यापकों का अभिमत सी.सी.ई. संचालन हेतु विद्यालय सपोर्ट सम्बन्धी कथनों के पक्ष में हैं।

सारणी क्रमांक २.प्रधान अध्यापक का अभिमत

सी०सी० ई० सम्बन्धित जो अभिलेख संधारण किया जाता है?

कथन क्र08(7 का पूरक) यदि हाँ , तो कौन–कौन से अभिलेख संधारित किए जाते हैं ?											
Location of school		अभिमत	अवलोकन	पोर्ट फोलिओ	एनेकडॉटल	खेल– कूद गति विधियां	साहित्यिक/ सांस्कृतिक, वैज्ञानिक गतिविधियां	बाल केबिनेट गतिविधियां	सीखने का अभिलेख	स्व मूल्यांकन प्रपत्र	डायरी
	N		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
TOTAL	54	Yes	49	38	23	47	49	52	32	33	37
AVERAGE % (in Round figure)		%	**91**	**70**	**43**	**87**	**91**	**96**	**59**	**61**	**69**

आरेख क्रमांक 2–प्रधान अध्यापक का अभिमत प्रतिशत
सी.सी.ई. सम्बन्धित विभिन्न अभिलेख संधारण सम्बन्धी

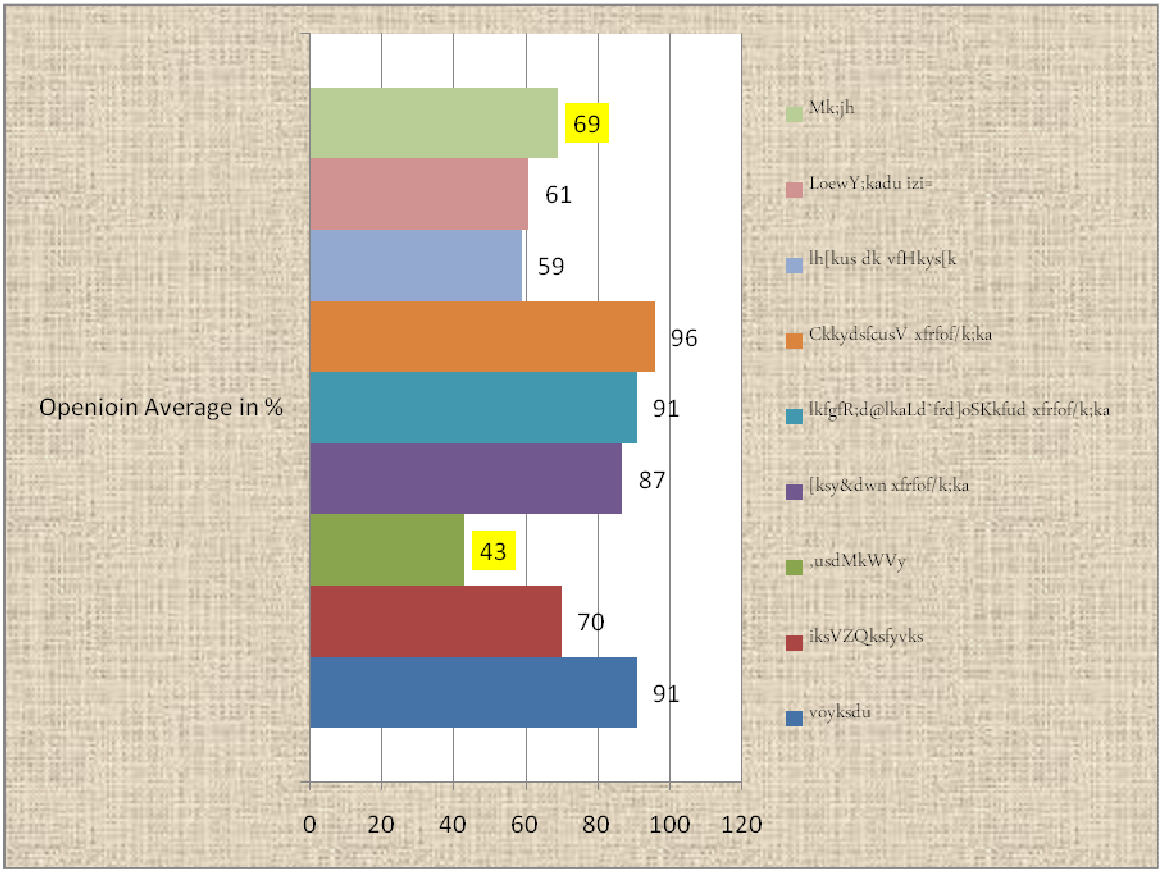

उपर्युक्त सारणी क्रमांक 2 व आरेख क्रमांक 2 से स्पष्ट है कि –

1. ९१ : संस्था प्रधान अध्यापक का अभिमत है कि शाला में सी.सी.ई. सम्बन्धित अवलोकन प्रपत्र का अभिलेख संधारण किया जाता है।
२. ७० : संस्था प्रधान अध्यापक का अभिमत है कि शाला में सी.सी.ई. सम्बन्धित पोर्टफोलियो का अभिलेख संधारण किया जाता है।
३. ४३ : संस्था प्रधान अध्यापक का अभिमत है कि शाला में सी.सी.ई. सम्बन्धित एनेक्डॉटल का अभिलेख संधारण किया जाता है।
४. ८७ : संस्था प्रधान अध्यापक का अभिमत है कि शाला में सी.सी.ई. सम्बन्धित खेल–कूद गतिविधियों का अभिलेख संधारण किया जाता है।
५. ९१ : संस्था प्रधान अध्यापक का अभिमत है कि शाला में सी.सी.ई. सम्बन्धित साहित्यिक/सांस्कृतिक/वैज्ञानिक गतिविधियों का अभिलेख संधारण किया जाता है।
६. ९६ : संस्था प्रधान अध्यापक का अभिमत है कि शाला में सी.सी.ई. सम्बन्धित बालकेबिनेट गतिविधियों का अभिलेख संधारण किया जाता है।

७. ५९ : संस्था प्रधान अध्यापक का अभिमत है कि शाला में सी.सी.ई. सम्बन्धित सीखने का अभिलेख संधारण किया जाता है।

८. ५९ : संस्था प्रधान अध्यापक का अभिमत है कि शाला में सी.सी.ई. सम्बन्धित स्वमूल्यांकन प्रपत्र का अभिलेख संधारण किया जाता है।

९. ५९ : संस्था प्रधान अध्यापक का अभिमत है कि शाला में सी.सी.ई. सम्बन्धित डायरी अभिलेख संधारण किया जाता है।